न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी : – देवीलाल यादव (R.A.S.)
राजस्व वाद संख्या : –13 / 2022

उनवान

1. रणजीत सिंह
2. सत्यनारायण
3. सुरेश पि0 काना समस्त जाति दरोगा निवासी ग्राम झडवासा, नसीराबाद

——— प्रार्थीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. अर्जुनराम पुत्र तुलछाराम जाति बलाई निवासी ग्राम पलाडा, तह0 नावा जिला नागौर
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 अनुपस्थित, 2. जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 2.1.25

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम झडवासा के खसरा नम्बर 565 रकबा 1.24 की आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की है। तथा प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 491 गै0मु0 सडक से होते हुये खसरा नम्बर 525 / 4564 अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी व खसरा नम्बर 567 सिवायचक का उपयोग करते है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध नही है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 525 / 4564 व 567 में से 30 फिट चौडा रास्ता माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किया जावे। उक्त अनुसार आदेश जारी कर तहसीलदार नसीराबाद को राजस्व रेकार्ड व मानचित्र में रास्ता दर्ज करने के भी आदेश पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

अप्रार्थी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। तहसीलदार नसीराबाद से मौका रिपोर्ट तलब की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 565 रकबा 1.24 प्रार्थीगण की खातेदारी [illegible] है। [illegible] 525 / 4564 रकबा 0.09 व 525 / 4566 रकबा 0.08 अप्रार्थी संख्या 1 की [illegible] में दर्ज है। खसरा नम्बर 567 सिवाचक खाते में दर्ज है। [illegible] रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 525 / 4564 पर पक्की चारदीवारी [illegible] रास्ता दिया जाना संभव नही है। खसरा नम्बर 525 / 4566 में आवागमन हेतु कच्चा रास्ता बना हुआ [illegible] सका

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उपयोग प्रार्थीगण द्वारा किया जा रहा है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी पर आवागमन हेतु अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नही है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा दिनांक 3.12.24 को प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर राजस्व नक्शा अनुसार रकबा 1400 वर्ग मीटर हे जबकि जमाबंदी में 0.08 है रकबा दर्ज है। अतः उक्त खसरा नम्बर का राजस्व नक्शा अनुसार रकबा मिलान नही होने के कारण तरमीम शुद्धि के बाद रास्ता दिया जाना उचित होगा। जमाबी में खसरा नम्बर 525/4566 का रकबा 0.08 है जबकि राजस्व मानचित्र में रकबा 0.14 है जिससे स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 525/4566 का रकबा राजस्व मानचित्र में अधिक दर्शाया है। जिसकी दुरूस्ती से पक्षकार के हित पर कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा। मौका रिपोर्ट दिनांक 30.06.22 के अनुसार खसरा नम्बर 525/4566 में आवागमन हेतु कच्चा रास्ता बना हुआ है, जोकि प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत पर आवागमन हेतु उपयोग में लिया जाता है। मौका रिपोर्ट में रास्तें की आत्यतिंक आवश्यकता व अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होना बताया है। खसरा नम्बर 525/4564 पर पक्की दीवार बनी है। खसरा नमबर 525/4566 भी अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का है जिसमें से मौके पर भूमि रास्ते के उपयोग में ली जा रही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र के तथ्यों की ताईद होती है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र का खण्डन नही किया है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रेकार्डेड मार्ग उपलब्ध कराने की है। अतः प्रार्थीगण अप्रार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 525/4566 रकबा 0.08 का राजस्व मानचित्र में जमाबंदी में दर्ज रकबे अनुसार तरमीम कर ग्राम झडवासा के हाल खसरा नम्बर 567 में से 66 मीटर लम्बी व 9 मीटर चौडी कुल 594 वर्ग मीटर भूमि, खसरा नम्बर 525/4566 में से 800 वर्ग मीटर भूमि गै0 मु0 रास्ता (सिवायचक खाते में) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नसीराबाद खसरा नम्बर 567 की आराजी के बदले 2,12,223/ अक्षरे दो लाख बारह हजार दो सौ तेईस रूपये राजकोष में जमा होने के बाद व खसरा नम्बर 525/4566 की आराजी के बदले 2,85,822/ अक्षरे दो लाख पिचयासी हजार आठ सौ बाईस रूपये अप्रार्थी संख्या 1 को भुगतान होने के बाद उक्त आराजी गै0मु0रास्ते के रूप में सिवायचक खाते में दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार शेष खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:12:09 IST
Reason: SelfAttested